प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– पिथौरागढ़ में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेराघाट मोटर मार्ग लम्बाई–7.5 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुन्तोला
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेराघाट परियोजना के निर्माण हेतु (—×— हे० आरक्षित वन भूमि, 0.90 हे० सिविल सोयम भूमि ×. हे०, वन पंचायत भूमि —×— हे०) अर्थात कुल 0.90 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुन्तोला द्वारा दिनांक 07/03/07 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुन्तोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचा० वि० अधिकारी
विoखo–गंगोलीहाट(पिथौरागढ़)

ह०/–
ग्राम प्रधान
गोविन्द सिंह खाती
प्रधान
ग्राम पंचायत कुन्ताला
वि०ख० गंगोलीहाट (पिथौरा

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 6/07/017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुन्ताला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कैलाश सिंह	Kailash [illegible]
2	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
3	आनन्द राम	आनन्द राम
4	शिव सिंह	शिव सिंह
5	नवीन सिंह	NSBisht
6	पूरन सिंह	पूरन सिंह
7	केदार सिंह	केदार सिंह
8.	उत्तम सिंह	[illegible]
9.	जगत राम	जगत राम
10.	पारबीर राम	धनबीर [illegible]
11.	धन सिंह	धान सिंह
12.	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
13.	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह

[illegible signature]

गोविन्द सिंह खाती
ह0/ प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत कुन्ताला
वि0ख0 गंगोलीहाट (पिथौरा[illegible]

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– पिथौरागढ़ में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ा मोटर मार्ग लम्बाई– 7.5 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम वैशाली
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ परियोजना के निर्माण हेतु (× हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.90 हे0 सिविल सोयम भूमि ... × हे0, वन पंचायत भूमि × हे0) अर्थात कुल 0.9 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत वैशाली द्वारा दिनांक 7-3-17 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम वैशाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / ग्राम पंचा० वि0 अधिकारी
ग्राम सचिव ......
वि0ख0–गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

ह0 / भागीरथी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत देवराल
ग्राम प्रधान
वि0ख0 गंगोलीहाट
जिला–पिथौरागढ़

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र—23.1

दिनांक 7-3-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत वैशाली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कुशल सिंह	कुशल सिंह
2	नरेन्द्र प्रसाद	नरेन्द्र प्रसाद
3	विनोद कुमार	विनोद कुमार
4	रणजीत राम	रणजीत राम
5	गणेश राम	गणेश राम
6	वरदान कुमार	A. Rauf
7	नवीन चन्द्र	नवीन कुमार
8	पूरन राम	पूरन राम
9	अनिल कुमार	Anil [illegible]
10	राजेश कुमार	[illegible]
11	वसन्त कुमार	बसन्त कुमार

[illegible]

ग्राम पचायत [illegible]
ह0/प्र0ख0 [illegible]
ग्राम प्रधान [illegible]

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– पिथौरागढ़ में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मो० मार्ग लम्बाई- 7.5 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मटियाल
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पव्वाधार नैनी जागेश्वर वायासेरागढ़ परियोजना के निर्माण हेतु (0.9 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.54 हे0 सिविल सोयम भूमि....X हे0, वन पंचायत भूमि X हे0) अर्थात कुल 1.44 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मटियाल द्वारा दिनांक 7-3-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मटियाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
(ग्राम विकास अधिकारी, वि0ख0–गंगोलीहाट (पिथौरागढ़))

ह0/–
ग्राम प्रधान
(प्रधान, ग्राम पंचायत देवताल, वि0ख0 गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

<u>प्रपत्र–23.1</u>

दिनांक 7-3-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मटियाल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	शंकर सिंह	शंकर सिंह
②	मधान सिंह	मधान सिंह
③	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
④	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
⑤	मधान सिंह	मधान सिंह

भागीरथी देवी

प्रधान ग्राम पंचायत देवल वि०ख० गंगोलीहाट पिथौरागढ़

ह0/

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– पिथौरागढ़ में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ा मोटर मार्ग ल० 7.5 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मनरखोला
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ा परियोजना के निर्माण हेतु (0.99 हे0 आरक्षित वन भूमि, × हे0 सिविल सोयम भूमि × हे0, वन पंचायत भूमि × हे0) अर्थात कुल 0.99 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मनरखोला द्वारा दिनांक 29/04/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मनरखोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव

क्षेत्र ...... बुरौल
वि0ख0–गंगोलीहाट (पिथौ0)

ह0 / – [signature]
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत बुरौल
वि. ख. गंगोलीहाट पिथौरागढ़

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 28-4-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मनरखोला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	नारायण सिंह	नारायण सिंह
	हिम्मत सिंह	हिम्मत सिंह
	गोवर्धन सिंह	गोवर्धन
	श्याम सिंह	Shyam
	मोहन सिंह	मोहन सिंह
	करम सिंह	करमसिंह
	परमानन्द	परमानन्द
	डिकम्बर	डिकम्बर
	नारायण दत्त	नारायणदत्त
	सीता देवी	सीता देवी
	नारायणी	नारायणी
	जय दत्त	जय दत्त
	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह

ग्राम पंचायत बुरौल
ह0/—
ग्राम प्रधान
वि.ख. गंगोलीहाट पिथौरागढ़

कमलादेवी

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– पिथौरागढ़ में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागाड़ा मोटर मार्ग लं० 7.5 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बुसैल
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़
जागेश्वर वाया सेरागाड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पव्वाधार नैनी ...... परियोजना के निर्माण हेतु (—×— हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.81 हे0 सिविल सोयम भूमि....× हे0, वन पंचायत भूमि —×— हे0) अर्थात कुल 0.81 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बुसैल द्वारा दिनांक 28/04/22 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बुसैल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्रा0 पं0 वि0 अ0 बुसैल
क्षेत्र............
वि0ख0–गंगोलीहाट(पिथौ0)

ग्राम पंचायत बुसैल
वि० ख० गंगोलीहाट पिथौरागढ़
ह0/– कमलादेवी
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र—23.1

दिनांक 28/04/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...बुसैल...

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	महिपाल सिंह	[illegible]
	दान सिंह	दान सिंह
	चन्दु सिंह	Candra
	चन्दन सिंह	चन्दन
	रवीन्द्र सिंह	रवीन्द्र सिंह
	दीपा देवी	दीपा देवी
	लक्ष्मण सिंह	
	पारवती देवी	लक्ष्मण सिंह
	गुसाई राम	
	कुन्दन लाल	गुसाई राम
	सुरेश चन्द्र	
	जगदीश सिंह	Kundan
	नन्दन सिंह	सुरेश
		जगदीश सिंह
		नन्दन सिंह

ग्राम पंचायत बुसैल
ह0/—
ग्राम प्रधान कमला देवी
प्रधान
वि.ख. गंगोलीहाट पिथौरागढ़

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– पिथौरागढ़ में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ा मोटर मार्ग लम्बाई-7.5 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सेरागड़ा
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ा परियोजना के निर्माण हेतु (- 0.9 - हे0 आरक्षित वन भूमि, — × — हे0 सिविल सोयम भूमि... × हे0, वन पंचायत भूमि — × — हे0) अर्थात कुल 0.9 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सेरागड़ा द्वारा दिनांक 01/08/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सेरागड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ ग्राम पंचा० वि० अधिकारी
ग्राम सचिव
वि०ख०–गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

गोविन्द सिंह खाती
ह0/
प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत कुन्ताला
वि०ख० गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 7/3/24 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सेरागाड़ा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
2-	दरपान सिंह	Darpan
3-	मेहर सिंह	मेहर सिंह
4-	होशियार सिंह	होशियार सिंह
5	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
6-	राम सिंह	राम सिंह
7-	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह

गोविन्द सिंह खाती
ह0/–
प्रधान
ग्राम पंचायत कुन्ताला
वि0ख0 गंगोलीहाट (पिथौरा

ग्राम प्रधान

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— पिथौरागढ़ मे पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सैरागड़ा मोटर मार्ग लम्बाई- 7.5 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गंगोलीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, गंगोलीहाट

उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सैरागड़ा (2.79 हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.15 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि X......हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 5.94 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गंगोलीहाट) की दिनांक 25-5-17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री वैभव गुप्ता —उपजिलाधिकारी — गंगोलीहाट —अध्यक्ष
2— श्री एम० एम० भट्ट —उप प्रभागीय वनाधिकारी— बेरीनाग —सदस्य
3— श्री विक्रम-चन्द —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— गंगोलीहाट सदस्य/सचिव
4— श्री हेमा जोशी —बी0डी0सी0 क्षेत्र — सै० पं० कुन्तोला —सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पिथौरागढ़ में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सैरागड़ा मोटर मार्ग —परियोजना हेतु 5.94 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग —————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेराघाट परियोजना के निर्माण हेतु 5.94 हे0 वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.........................
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.........................
जनपद.........................

B. M. Bisht
राजस्व उपनिरीक्षक (पिथौ)
तहसील गंगोलीहाट
पिथौरागढ़

तहसीलदार
गंगोलीहाट

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

क्षेत्र व नायब तुन्तोला
वि0ख0-गंगोलीहाट
जिला-पिथौरागढ़

उप जिलाधिकारी
गंगोलीहाट

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector- **Pithoragarh**

No---Memo Dated-24/7/17

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **5.94** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Berinag** (name of user agency) for **Pawadhar Naini Jageshwar Vaya Seragara Moter road** (purpose for diversion of forest land) in **Pithoragarh** district falls with in jurisdiction of of **Kuntola,Vashali,Matiyal; Seragarh; Mankhola, Busail,** village (s) in**Gangolihat** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

जिलाधिकारी पिथौरागढ़

(Full name and official seal of the District Collector)

AD ATE WO WA

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-------

Dated 24/7/17

No--Memo

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 5.94 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Berinag (name of user agency) for **of Pawadhar Naini Jageshwar Vaya Seragara Moter road** (purpose for diversion of forest land)inPithoragarh district falls with injurisdiction **Kuntola,Vashali,Matiyal; Seragarh; Mankhola, Busail,** village (s) in in**Gangolihat** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Danu And Lachhima villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

जिलाधिकारी Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30.1

sOFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanshipof Mr/Mrs/Miss.**C. Ravishankar** I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 24..07..017at time ...11..00...at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring **5.94** hect for the construction of **Pawadhar Naini Jageshwar Moter Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Gangolihat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose

.Place; Pithoragarh

Dated:.24..07..017

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

<u>जिलास्तरीय समिति–पिथौरागढ़</u>

उप खण्ड **बेरीनाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील **बेरीनाग**) की दिनांक 24-7-17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी रवि शंकर जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

1–श्री **सी0 रवि शंकर** जिलाधिकारी **पिथौरागढ** अध्यक्ष।

2–श्री **विनय कुमार भार्गव** प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य।

3–**श्री पी0 बी0 सिह** जिला समाज कल्याण अधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य/सचिव ।

4–श्री/श्री~~मती~~ हरीश सिंह भण्डारी जिला पंचायत क्षेत्र ....सुगड़ी.................. सदस्य।

सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **पव्वाधार नैनी जागेश्वर मो0 मार्ग** परियोजना हेतु **5.94** हे0 वनभूमि को **लोक निमार्ण विभाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी अध्यक्ष	प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	सदस्य जिला पंचायत सदस्य
	प्रभागीय वन अधिकारी पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौरागढ	सहायक समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ	(हरीश सिंह भण्डारी) सदस्य जिला पंचायत, सुगड़ी (गंगोलीहाट) पिथौरागढ

जिलाधिकारी
पिथौरागढ